

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल,

क्रमांक 4 अ-82/16-17/भू-अर्जन/5793 बैतूल दिनांक 08-05-18
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल (म0प्र0) ।


विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित-प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण की रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

विषयान्तर्गत म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के तहत ग्राम उमरीजागीर तहसील बैतूल जिला बैतूल के 03 कृषकों की 0.209 हे0 भूमि रेल्वे तीसरी लाईन हेतु अर्जन के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।

अतएव संलग्न सामाजिक समाघात रिपोर्ट दिनांक 30.12.2017 का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशन की प्रतियां कृपया इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(शशांक मिश्र)
कलेक्टर
बैतूल

पृ0क0 04 अ-82/16-17/भू-अर्जन /5793 बैतूल दिनांक 08-05-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें।
- 3- उप मुख्य अभियन्ता, निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा0) को अग्रेषित उक्त प्रकाशन की प्रतियां प्राप्त करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 4- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा कराई जाकर वापस भेजना सुनिश्चित करे।
- 5- एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 6- ग्राम पंचायत उमरी जागीर तहसील बैतूल जिला बैतूल का प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


कलेक्टर, 02/05/18
बैतूल


प्ररूप- ख
(नियम 5 देखिए)


सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट


- 1- परियोजना का नाम - उप मुख्य अभियंता(नि.) मध्य रेल्वे अजनी नागपुर
- 2- लोक प्रयोजन - रेल्वे तीसरी लाइन
- 3- स्थल - उमरी जागिर
- 4- परियोजना का क्षेत्र - उमरी जागिर
- 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया - तीसरी लाईन इटारसी से नागपुर के बीच मध्य रेल्वे लाइन बिछाने के संबंध में
- 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता - उप मुख्य अभियंता(नि.) मध्य रेल्वे अजनी नागपुर
- 7- परियोजना निर्माण के चरण - प्रथम एवं अंतिम
- 8- परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे - प्रकरण में संलग्न है।
- 9- परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि - 0.209 हे.
- 10-भूमि का मूल्य - 15,10,000/- प्रति हे.सिंचित
- 11-प्रभावित परिवारों की संख्या - 1
- 12-परिसम्पत्तियां:-
लोक सम्पत्ति भूमि निरंक हे. भवन निरंक अन्य
निजी सम्पत्ति भूमि 0.209 हे. भवन निरंक अन्य
- 13-विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या - निरंक
जिनकी भूमि अर्जित हुई
ग्राम निरंक परिवारों की संख्या निरंक
- 14-सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण - निष्कर्ष में उल्लेखित है।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची - निरंक
- 15-विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? - लोक प्रयोजन हेतु
(ख) यदि नहीं- तो क्यों ? - निरंक

निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पत्तियां प्रभावित नहीं हो रही है
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।


(सदस्य)
अधिवक्ता
उपवन मंडल अधिकारी
बैतूल
S.D.O.
BETUL (T.)


(सदस्य)
अनुविभागीय अधिकारी
पी.डब्ल्यू.डी.बैतूल
नौ दि. वि. व्यवस्था
बैतूल (म.प्र.)


(अध्यक्ष)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व बैतूल
दिनांक 14/12/17